कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: **कार्यालय आदेश** ::—

निम्नांकित व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति—निम्नांकित शर्तो के आधार पर दी जाती है:—

क्र.सं.	नाम कार्मिक, विषय मय पदस्थापन स्थान	अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
01	SAIYED BURHAN ALI Office of ADD. DISTRICT PROJECT COORDINATOR, SMSA, JHALAWAR	FROM DATE 21-08-2023 TO 10-09-2023	MAKKA MADINA, SAUDI AREBIA
02	KHUSHBOO SHARMA NAVEEN GSSS JODHPUR (220384)	FROM DATE 28-09-2023 TO 03-10-2023	DUBAI, SAUDI ARAB

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नही होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमो के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया ''त्यागपत्र'' स्वीकृत नही किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नही किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कार्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढाया नही जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहां—जहां पर रहेगें उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ)सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नही है।
    (ब)कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नही है।
    (स)कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नही हों।
    (द)कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजो को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी—6/रावि/विदेश—यात्रा/2023 **दिनांक :—**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य...।
4. संबंधित कार्मिक...।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.08.08 19:27:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4464104